

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण तारीख:- 20/2/18

प्रकरण संख्या:- 16/18

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:- 07/03/2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामनगर तहसील कोटकासिम की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता सं0 83 मे रामदास, रामनिवास, भीमसिंह पुत्रान व रामकली पत्नी किशनलाल संभाग सा0 देह गैरखातेदार दर्ज है। उक्त खाता नम्बर मे दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 358/ 404 रकबा 5-00 बीघा किशनसहाय पुत्र श्री चुन्नाराम सा0 देह को नामान्तरकरण सं0 5 से अलोटमेन्ट हुई है। जिसमे कृषक की जाति दर्ज नहीं है। इस प्रकरण की नायब तहसीलदार, हरसौली द्वारा हल्का पटवारी से जाँच करवाये जाने पर उक्त खातेदार की जाति जाटव बताई गई है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एव नायब तहसीलदार, हरसौली की रिपोर्ट व तहसीलदार, कोटकासिम की अभिषंसा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत दुरुस्त किये जाने योग्य पाया जाता है अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण मे तहसीलदार, कोटकासिम को आदेश दिया जाता है कि वो जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता सं0 83 वाके ग्राम रामनगर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 मे कृषक की जाति ~~जमद~~ दर्ज की जावे व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रेषिति:- तहसीलदार, कोटकासिम को वास्ते पालनार्थ प्रेषित है।

(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)